

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 28.11.2024


संख्या- 1/पी0-103/2022 का०- 7751 /मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी (JSLPS), राँची के पद पर पदस्थापित श्री मंजूनाथ भजन्त्री, भा.प्र.से. (झा:2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक राँची जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

2. श्री भजन्त्री अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या- 1/पी0-103/2022 का०- 7752 /उपायुक्त, राँची के पद पर पदस्थापित श्री वरुण रंजन, भा.प्र.से. (झा:2014) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, राँची (JIIDCO) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री रंजन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ खान आयुक्त, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(विनोद कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक1/पी0-103/2022 का०- 7752 /राँची, दिनांक 28.11.2024

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।